न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/07/2024

दायर दिनांक 09.01.2024

उनवान

1. केशरदेवी पत्नी दिनेशचन्द्र जाति सालवी आयु वयस्क निवासी प्रतापनगर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

– वादीया

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र घीसा जाति चमार आयु वयस्क निवासी पीपलखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. भगवानी पुत्री घीसा जाति चमार आयु वयस्क निवासी पीपलखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. मांगीबाई पुत्री घीसा जाति चमार आयु वयस्क निवासी पीपलखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. मोहनीबाई पत्नी घीसा जाति चमार आयु वयस्क निवासी पीपलखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
5. मुकेश पुत्र भैरूलाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी पीपलखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
6. ममता पुत्री भैरूलाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी पीपलखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
7. सुमन पुत्री भैरूलाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी पीपलखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
8. भैरीबाई पत्नी भैरूलाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी पीपलखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
9. तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

–प्रतिवादीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 30.04.2025

–:निर्णयः–

वादीया का वादपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1,2 जा0दी0 सपठित धारा 88–89 एवं 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया कि मौजा दांतोली तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में हाल जमाबन्दी दर्ज आराजी संख्या 555 रकबा 0.40 हैक्ट0 स्थित है जो वादीया के नाम 5/8 हिस्से से खातेदारी से दर्ज हैं जिसके सहखातेदार घीसा पिता जयराम चमार निवासी दांतोली हा0मु0 पीपलखेडी के नाम 3/8 हिस्से से वादीया के साथ दर्ज रेवेन्यु रेकार्ड थी जिससे वादीया दिनांक 16.03.2018 को बिल एवज साठ हजार रूपये नकद रजिस्टर खरीद की इस प्रकार कुली आराजी की खातेदार वादीया हैं व उक्त आराजी वादीया के कब्जे काश्त में बेरोक टोक चली आ रही हैं।

यह कि उपरांकित आराजी में हिस्सा 3/8 के बेचवाल घीसा पिता जयराम चमार का देहावसान हो गया उनके वारिस प्रतिवादीगण पुत्र शंकर पुत्रीया भगवानी व मांगीबाई व पत्नी मोहनीबाई व एक और पुत्र भैरूलाल जो फौत हो गया जिसके वारिस पुत्र मुकेश, पुत्रीयां ममता, सुमन, और पत्नी भैरीबाई हैं जो वाद के प्रतिवादीगण हैं।

यह कि वादीया ने मृतक घीसा पिता जयराम चमार जो प्रतिवादीगण के पिता दादा पति थे से उक्त आराजी हिस्सा 3/8 प्रतिफल अदा कर रजिस्टर खरीद किया जिसका अन्तकाल अर्जी ग्राम पंचायत

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

दी गई जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई प्रतिवादी संख्या 9 के जीमें इन्द्राज के दाखले की जिम्मेदारी हैं जो पुरी नही की गई इस बीच मृतक बेचवाल घीसा का वारीसान अन्तकाल प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के नाम मृतक घीसा की आराजीयात के साथ नामान्तरकरण संख्या 238 से दर्ज कर लिया जो गलत है कुली आराजी वादीया की खातेदारी की हैं इसलिये यह घोषणा कराया जाना आवश्यक है वादीया वाद कॉलम 1 में उल्लेखित आराजी की अकेली खातेदारी हैं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 का नाम उक्त आराजी के रेवेन्यु रेकार्ड इन्द्राज से हटाया जावें उक्त आराजी में प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है।

यह कि वाद कॉलम 1 उल्लेखित आराजी हिस्सा 3/8 वादीया का रजिस्टर खरीद का हैं जो प्रतिवादीगण के नाम गलत अंकित हो गया जिससे प्रतिवादीगण उक्त आराजी हिस्से को रहन वह मुन्तकील नही करे कब्जा नही हटावें इसके लिये स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण जारी फरमावें वरना वादीया को भारी नुकसान होगा।

यह कि उक्त गलत इन्द्राज से वादीया की खरीदसुदा 3/8 आराजी हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने की जानकारी 04.01.2024 को हुई जिस पर प्रतिवादीगण को कहा कि हमारे पिता की दिगर आराजीयात के साथ हमारे पिता द्वारा बेची गई उक्त आराजी भी हमारे नाम पर दर्ज कर दी जिसमें हमारा कोई कसुर नही जो दुरुस्ती को सहमत हैं परन्तु कानूनी राय से वाद के जरियें उक्त दुरुस्ती संभव होने से उक्त वाद बिनाय पैदा हुई जो निरन्तर बनी हुई हैं।

अन्त में प्रार्थना की कि खातेदारी अधिकार की घोषणा की डिक्री बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण 1 से लगायत 8 इस आशय की जारी फरमावें की ग्राम दांतोली प0ह0 उमण्ड तहसील कपासन के हल्के बैरूनी की आराजी संख्या 555 रकबा 0.40 हैक्ट0 के 3/8 हिस्से की वादीया खातेदार काश्तकार है उक्त हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 8 के नाम से हटाकर वादीया के नाम दर्ज किया जावें इस प्रकार उक्त आराजी कुलिया वादीया के खातेदारी कब्जे काश्त की हैं। स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण वाद कॉलम 4 के अनुसार सादर फरमावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पवनपाल सिंह चौधरी का अधिकार पत्र मय जवाब इकबालिया प्रस्तुत जो शा0फा0 है। साक्ष्यवादी में वादीया केसरदेवी का शपथ पत्र प्रस्तुत। वादीया केसरदेवी ने वाद पत्र के साथ दस्तावेज प्रदर्श अंकन कराये जो प्रदर्श–1, प्रदर्श 2 एवं प्रदर्श–3 एवं 3ए है। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। की गई बहस पर मनन किया। प्रदर्श–1 जमाबन्दी का अवलोकन किया उसमें वादीया 5/8 हक हिस्से से खातेदार है व शेष 3/8 हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श–3 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का अवलोकन किया जिसमें खातेदार घीसा पिता जयराम जाति चमार निवासी दांतोली द्वारा आराजी संख्या 555 में दर्ज 3/8 हक हिस्सा वादीया को बेचान कर दिया है। घीसा फौत हो जाने से आराजी संख्या 555 में 3/8 हक हिस्सा घीसा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के द्वारा अपने नाम दर्ज 3/8 हक हिस्सा जवाब इकबालिया प्रस्तुत कर वादीया के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजो व प्रतिवादीगण के जवाब इकबालिया के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा दांतोली पटवार हल्का तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में हाल जमाबन्दी दर्ज आराजी संख्या 555 रकबा 0.40 हैक्ट0 में दर्ज भगवानीबाई, भैरीबाई, मुकेश, ममता, मांगीबाई, मोहनीबाई, शंकरलाल, सुमन के नाम दर्ज हक हिस्सा वादीया केशरदेवी पत्नी दिनेशचन्द्र के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष बदस्तुर रहे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

(राजेश सुवालका)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी कपासन
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़